परिपत्र संख्या 01.../2021

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान

"पंजीयन भवन", लोहागल-जनाना अस्पताल रोड़(सीकर रोड़) अजमेर

क्रमांकः एफ-7(83)जन/भूमि कर/2021/179-734 दिनांकः 29/01/2021

~:~ परिपत्र ~:~

1. समस्त उप महानिरीक्षक,
   पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
   राजस्थान।
2. समस्त उप पंजीयक, (निर्धारण अधिकारी)
   पूर्ण कालीन एवं पदेन,
   राजस्थान।

विषयः- राजस्थान भूमि कर नियम-2020 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रसंगः- अतिरिक्त महाधिवक्ता उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र दिनांक 23.01.2021 के क्रम में।

.....

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 के अध्याय-4 के अन्तर्गत भूमि कर के प्रावधान किये गये है। इन प्रावधानों की क्रियान्विति के लिये धारा-34 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 30.03.2020 के द्वारा राजस्थान भूमि कर नियम-2020 का प्रकाशन किया जाकर लागू किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न रिट याचिकाएँ विभाग के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जोधपुर ने प्रासंगिक पत्र से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिसों एवं डिमाण्ड नोटिस तथा अन्तिम आदेशों में की गयी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के संबंध में इस कार्यालय का ध्यान आकर्षित किया गया है। राजस्थान वित्त अधिनियम-2020 एवं राजस्थान भूमि कर नियम-2020 के प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाये जाने के इस संबंध में पुनः निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः-

(i) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भूमि कर निर्धारण किये जाने हेतु वित्त अधिनियम-2020 की धारा-19 व धारा-20 के अन्तर को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। धारा-19 के अन्तर्गत नोटिस भूमिधारी को उसी दशा में जारी किया जाना अपेक्षित है जबकि उसके द्वारा <u>स्वयं कर निर्धारण</u> (Self Assessment) कर विवरणी प्रस्तुत की गयी है, तथा कर निर्धारण अधिकारी उक्त <u>स्वयं कर निर्धारण विवरणी</u> को गलत अथवा अपूर्ण प्रस्तुत होना पाता है, तब राजस्थान भूमिकर नियम, 2020 के नियम-6 के अन्तर्गत निर्धारित Form-B में नोटिस जारी किया जावेगा। उक्त नोटिस में किसी भी प्रकार की डिमाण्ड राशि अथवा उसे जमा करवाने की अवधि का उल्लेख किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ii) वित्त अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत भूमिधारक द्वारा निर्धारित समयावधि में <u>स्वयं कर निर्धारण विवरणी</u> प्रस्तुत नहीं करने एवं कर जमा नहीं कराने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान भूमिकर नियम, 2020 के नियम-6 के अन्तर्गत Form-C में भूधारक को नोटिस प्रेषित किया जावेगा। उक्त नोटिस में किसी भी प्रकार की डिमाण्ड राशि अथवा उसे जमा करवाने की अवधि का उल्लेख किया जाना अपेक्षित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा निहित प्रकिया अपनाये जाने के बजाय सीधे ही कर राशि जमा कराने के नोटिस जारी नहीं किये जाने चाहिए। अपितु अंतिम कर निर्धारण आदेश जारी होने के उपरांत ही निर्धारित प्रारूप(Form-E) में डिमाण्ड नोटिस जारी किया जाना चाहिए तथा अंतिम कर निर्धारण आदेश की प्रति साथ प्रेषित की जाना आवश्यक है।

(iii) भूमिकर के निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भूधारक को धारा-19 अथवा धारा-20 के अन्तर्गत यथानुसार निहित प्रारूप बी अथवा सी में नोटिस जारी कर युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त प्रकरण में अंतिम कर निर्धारण का आदेश पारित किया जावेगा। तत्पश्चात निर्धारित प्रारूप Form-E में डिमाण्ड नोटिस भूधारक को अन्तिम कर निर्धारण आदेश के साथ भिजवाया जाना अपेक्षित है।

(iv) धारा-19 अथवा धारा-20 के तहत सुनवाई हेतु निहित प्रारूप में नोटिस जारी किया जाकर बाद सुनवाई/अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी किया जाना

चाहिए, अंतिम कर निर्धारण आदेश स्वतः स्पष्ट होना चाहिए एवं उक्त आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से पक्षकार को तामिल करवाई जानी चाहिए मांगपत्र (Form-E) के साथ अंतिम कर निर्धारण आदेश की प्रति संलग्न कर भिजवाया जाना आवश्यक है।

(v) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कुछ प्रकरणों में त्रुटीपूर्ण, गलत प्रारूप में नोटिस अथवा डिमाण्ड नोटिस जारी हुए है जो कि राजस्थान वित्त अधिनियम–2020 एवं राजस्थान भूमिकर नियम–2020 के नियमों के असंगत है, तब कर निर्धारण अधिकारी ऐसे प्रकरणों में जारी नोटिसों का शीघ्र पुनरावलोकन कर उसे प्रत्याहारित किया जाकर उचित निर्धारित प्रारूप में पुनः नोटिस जारी करेगें। एवं पुनः नियमानुसार सुनवाई कर निर्धारण आदेश पारित करें।

उपरोक्त विधिक प्रावधानों की अक्षरशः पालना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेंगी। तत्पश्चात् भी किसी प्रकरण में त्रुटीपूर्ण कार्यवाही की जाती है तो इस संबंध में संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जावेंगी।

29.1.21

(भगवत सिंह राठौड)
अतिरिक्त महानिरीक्षक (सतर्कता)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान–अजमेर

क्रमांक :– एफ–7(83)जन/भूमि कर/2021/735–805 दिनांकः 29/01/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव(कर), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी–सचिव, महानिरीक्षक, मुख्यालय अजमेर।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/ कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर/जयपुर
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
9. वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार मुख्यालय, अजमेर।
10. संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
11. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय अजमेर।
12. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर(मुद्रांक) वृत–जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. समस्त आंतरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
16. समस्त शाखाऐं, मुख्यालय, अजमेर।

संयुक्त विधि परामर्शी
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान–अजमेर